उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग–5
संख्या– 306/XXVII(5)/(01/स्टाम्प/04)/2005
देहरादूनः दिनांक 22 अगस्त, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल का समाधान हो गया हैं कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतः वह स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निदेश देते हैं कि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तरांचल द्वारा संयुक्त क्षेत्र में विकसित आस्थानों के लिये सर्किल रेट का निर्धारण अधिसूचना संख्या–29/XXVII(5)/ (01/स्टाम्प/04)/2005 दिनांक 22.01.2005 के स्थान पर पूर्व की भांति अधिसूचना संख्या–210/ वि0अनु0–5/स्टाम्प/(01/स्टाम्प/04)/2005 दिनांक 19.07.2004 के अनुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या– 306(2)/XXVII(5)/स्टाम्प/(01/स्टाम्प/04) 2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त कुमायूं एवं गढ़वाल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. न्याय/विधायी विभाग।
4. उप–निदेशक लिथों प्रेस, रूड़की को हिन्दी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे आगामी गजट में प्रकाशित कराते हुए इसकी 200 प्रतियॉ शासन के वित्त अनुभाग–5 को उपलब्ध करा दें।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 वल्दिया)
अनु सचिव।